न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 32/2020

महावीर पुत्र श्योलाल जाट, निवासी बिरमी, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू।

—अपीलान्ट—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बिसाऊ, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू।
2. लोक अभियोजक, झुन्झुनू।

—रेस्पोडेन्ट—

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 08.06.2020 न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ जिला झुन्झुनू उनवानी मुकदमा सरकार बनाम महावीर अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 मुकदमा नम्बर 27/2019

उपस्थितिः—

1. श्री रोहिताश कुमार ढाका, एडवोकेट.....अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता.....रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 30.5.25

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अदालत मातहत ने अपीलान्ट को न तो कोई नोटिस/सम्मन भेजा तथा न ही अपीलांट को उक्त मातहत अदालत द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। जबकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सहादत व बहस का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था। अदालत मातहत ने पटवारी हलका बिरमी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बिरमी के खसरा नम्बर 364 रकबा 5.34 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन चारागाह में से 0.14 हैक्टर पर बाड़ व डोल बनाकर अतिक्रमण किया जाना माना है जबकि इस भूमि पर अपीलांट के पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है। इसी ग्राम बिरमी का अपीलांट के नाम से राशनकार्ड, परिचय पत्र, मूल निवास

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

प्रमाण पत्र है तथा अपीलांट के आसपास करीब 100 घरों की बस्ती है तथा अपीलांट के पूर्वजों का उक्त भूमि पर करीब 90 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। अदालत मातहत ने हलका पटवारी के कोई बयान नही लिए है न ही गिरदावर व अन्य किसी भी प्रकार के कोई बयान नही लिए गये है तथा जब तक पटवारी हल्का के बयान नही लिए जाते है तब तक अपीलांट को अतिक्रमी नही माना जा सकता है। जिस भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमी माना गया है उसी भूमि के निकट उसी खसरा नम्बर में पानी की सरकारी टंकी बनी हुई है तथा उसी पानी की टंकी से अपीलांट ने पानी का कनेक्शन ले रखा है तथा अपीलांट के आस पास सैकड़ों मकानात बने हुए है यानि की उक्त भूमि आबादी भूमि है। इस तथ्य पर गौर न कर अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है। अपीलांट के घर पर कोई रजिस्टर्ड नोटिस/सम्मन की तामिल करवाने के लिए नही गया बल्कि उक्त तामिल कुनिन्दा ने अपनी मनमर्जी से अपीलांट की तामिल होना गलत बताया है। जबकि अपीलांट को कोई नोटिस की तामिल नही हुई है नोटिस पर अपीलांट के फर्जी हस्ताक्षर किये गये है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ का निर्णय दिनांक 08.06.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील न्यायालय में प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट को नोटिस भेजकर तामील की गई। मिसल मातहत तलब की जाकर बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत ने अपीलान्ट को न तो कोई नोटिस/सम्मन भेजा तथा न ही अपीलांट को उक्त मातहत अदालत द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। जबकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सहादत व बहस का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था। अदालत मातहत ने पटवारी हलका बिरमी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बिरमी के खसरा नम्बर 364 रकबा 5.34 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन चारागाह में से 0.14 हैक्टर पर बाड़ व डोल बनाकर अतिक्रमण किया जाना माना है जबकि इस भूमि पर अपीलांट के पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है। इसी ग्राम बिरमी का अपीलांट के नाम से राशनकार्ड, परिचय पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र है तथा अपीलांट के आसपास करीब 100 घरों की बस्ती है तथा अपीलांट के पूर्वजों का उक्त भूमि पर करीब 90 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। अदालत मातहत ने हलका पटवारी के कोई बयान नही लिए है न ही गिरदावर व अन्य किसी भी प्रकार के कोई बयान नही लिए गये है तथा जब तक पटवारी हल्का के बयान नही लिए जाते है तब तक अपीलांट को अतिक्रमी नही माना जा सकता है। जिस भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमी माना गया है उसी भूमि के निकट उसी खसरा नम्बर में पानी की सरकारी टंकी बनी हुई है तथा उसी पानी की टंकी से अपीलांट ने पानी का कनेक्शन ले रखा है तथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

अपीलांट के आस पास सैकड़ों मकानात बने हुए है यानि की उक्त भूमि आबादी भूमि है। इस तथ्य पर गौर न कर अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है। अपीलांट के घर पर कोई रजिस्टर्ड नोटिस/सम्मन की तामिल करवाने के लिए नही गया बल्कि उक्त तामिल कुनिन्दा ने अपनी मनमर्जी से अपीलांट की तामिल होना गलत बताया है। जबकि अपीलांट को कोई नोटिस की तामिल नही हुई है नोटिस पर अपीलांट के फर्जी हस्ताक्षर किये गये है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2020 को अपास्त किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित भूमि राजकीय है तथा अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत कार्यवाही की है। अपीलांट द्वारा न तो अदालत मातहत तथा न ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रकरण में विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध साबित होता हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.06.2020 मुकदमा संख्या 27/2019 उनवानी सरकार बनाम महावीर अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय मिसल अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार बिसाऊ को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.5.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनूं।